1. वन (संरक्षण) अधिनियम (FCA), 1980

- इस अधिनियम को 25 अक्टूबर 1980 से पूरे भारत में लागू किया गया।
    - जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 95 के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में गैर-प्रयोज्यता के अपवाद प्रावधान को हटा दिया गया है।
- इस अधिनियम के तहत, किसी भी वन भूमि (सरकारी रिकॉर्ड में उल्लेखित) को गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- अधिनियम का उद्देश्य गैर वानिकी उपयोग के लिए वन भूमि के अंधाधुंध विचलन को विनियमित करना और देश की विकासात्मक आवश्यकताओं और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना है।
    - "गैर-वन उद्देश्य" का अर्थ पुनर्वनरोपण के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी वन भूमि या उसके हिस्से को तोड़ना या काटना है।

1.1. वन मंजूरी की प्रक्रिया

5 हेक्टेयर तक गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का डायवर्जन

- बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, शिलांग और चंडीगढ़ में पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक मामले में 5 हेक्टेयर तक (खनन और अतिक्रमणों के नियमितीकरण को छोड़कर) गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए FCA के तहत मंजूरी देने का अधिकार है।

5 हेक्टेयर से 40 हेक्टेयर के बीच के मामले

- ऐसे मामलों में, पर्यावरण और वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय राज्य सलाहकार समिति के परामर्श से मंत्रालय को सिफारिशें करते हैं।

40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का डायवर्जन

- 40 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों वाले प्रस्ताव राज्य सरकारों द्वारा सीधे मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं, और उनकी जांच वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गठित वन सलाहकार समिति (FAC) द्वारा की जाती है।

वन क्षेत्र जिन्हें राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के भाग के रूप में अधिसूचित किया गया है

- जिन वन क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यानों/अभयारण्यों के हिस्से के रूप में अधिसूचित किया गया है, उन्हें केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्यक्त मंजूरी के साथ ही स्थानांतरित करने की अनुमति है।

2. वन संरक्षण नियम (FCR), 2022

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने 28 जून, 2022 को वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत वन संरक्षण नियम, 2022 को अधिसूचित किया।
- ये संशोधन निजी डेवलपर्स को वनवासियों की अनुमति प्राप्त किए बिना जंगलों को काटने की अनुमति देते हैं।

2.1. वन संरक्षण नियम, 2022 की विशेषताएं

- इन नियमों के तहत जंगल काटने से पहले अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासी समुदायों से सहमति प्राप्त करने की ज़िम्मेदारी अब राज्य सरकार की होगी, जो कि पहले केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य थी।
- नए नियम केंद्र सरकार को जंगल में रहने वालों की स्वीकृति लिए बिना ही उसे काट देने की मंजूरी देने का अधिकार देते हैं। जो संबंधित राज्य सरकार को आदिवासियों और अन्य वन क्षेत्र के निवासियों से मंजूरी सुनिश्चित करने के लिए मजबूर कर देगा।
- FCR, 2022 समय-सीमा भी निर्धारित करता है जिसके भीतर एक परियोजना स्क्रीनिंग समिति द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए:
    - सभी गैर-खनन परियोजनाएं जो 5-40 हेक्टेयर के बीच डायवर्जन का प्रस्ताव करती हैं, उनकी समीक्षा 60 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, जबकि खनन परियोजनाओं की 75 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।
    - 40 से 100 हेक्टेयर के बीच भूमि परिवर्तन की मांग करने वाली गैर-खनन परियोजनाओं की 75 दिनों के भीतर और खनन परियोजनाओं की 90 दिनों के भीतर समीक्षा की जानी चाहिए।

- समिति को गैर-खनन परियोजनाओं के लिए 120 दिनों और खनन परियोजनाओं के लिए 150 दिनों के भीतर 100 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि को डायवर्ट करने वाली परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए।

2.2. मुद्दे

- यह संशोधन वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के प्रावधान का उल्लंघन करता है।
- पहले केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी होती थी कि वह वन को काटने से पहले, वहां के निवासियों की रजामंदी और वन्य भूमि पर उनके अधिकार उसे काटने से पहले सुनिश्चित करे।
- लेकिन अब, सरकार वन्य भूमि का हस्तांतरण और उसकी एवज में वनरोपण की रकम निजी डेवलपर से पहले ही ले सकती है भले ही राज्य सरकार ने वनवासियों के अधिकार सुनश्चित करके उनकी रजामंदी न ली हो।
- वन अधिकार अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए वन मंत्रालय ने 2009 में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहां गया कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वन्य भूमि पर दावा करने वाले कोई आदिवासी तो मौजूद नहीं हैं, अगर हैं तो उनके दावे की पुष्टि की जाए और समिति से मिलने वाली पहली रजामंदी से पहले ही उन्हें उस भूमि का स्वामित्व दिया जाए।
- सभी दावों का निपटारा हो जाने के बाद ही ग्राम सभा के जरिए वन में रहने वालों से उनकी भूमि के अधिग्रहण की मंजूरी ली जाए। नये नियम से यह प्रावधान हटा दिए गये है।

3. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

- वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 29 मार्च, 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में संशोधन करता है।

3.1. विधेयक की मुख्य विशेषताएं

जंगल में गतिविधियों पर प्रतिबंध

विधेयक उन गतिविधियों की सूची में और गतिविधियाँ जोड़ता है जिन्हें गैर-वन उद्देश्यों से बाहर रखा जाएगा जैसे:

- वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्रों के अलावा अन्य वन क्षेत्रों में सरकार या किसी प्राधिकरण के स्वामित्व वाले चिड़ियाघर और सफारी,

- पर्यावरण-पर्यटन सुविधाएं,
- सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन (वन विकास को बढ़ाना), और
- केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य उद्देश्य।

अधिनियम के दायरे में भूमि

विधेयक में प्रावधान है कि दो प्रकार की भूमि अधिनियम के दायरे में होगी:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 या किसी अन्य कानून के तहत वन के रूप में घोषित/अधिसूचित भूमि, या
- भूमि पहली श्रेणी में शामिल नहीं है लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में 25 अक्टूबर 1980 को या उसके बाद जंगल के रूप में अधिसूचित की गई है।

भूमि की छूट प्राप्त श्रेणियाँ

- विधेयक कुछ प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के प्रावधानों से छूट देता है, जैसे रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाए गए सार्वजनिक सड़क के किनारे वन भूमि, जो किसी बस्ती तक पहुंच प्रदान करती है, या रेल और अधिकतम 0.10 हेक्टेयर आकार तक सड़क के किनारे की सुविधा प्रदान करती है।

निर्देश जारी करने की शक्ति

- विधेयक में कहा गया है कि केंद्र सरकार केंद्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के तहत या मान्यता प्राप्त किसी अन्य प्राधिकरण/संगठन को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी कर सकती है।

4. वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अधिनियम का संचालन जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य वन-निवास समुदायों के भूमि और अन्य संसाधनों पर अधिकार स्थापित करना है।

4.1. उद्देश्य

FRA का लक्ष्य चार प्रकार के अधिकार प्रदान करना है।

- 13 दिसंबर, 2005 को आदिवासियों या वनवासियों द्वारा खेती की जा रही भूमि पर शीर्षक अधिकार, यानी स्वामित्व, अधिकतम 4 हेक्टेयर के अधीन।
    - स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जिस पर उस तारीख को वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जा रही है, जिसका अर्थ है कि कोई नई भूमि नहीं दी जाएगी।
    - इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त भूमि को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- लघु वन उपज (स्वामित्व सहित), चरागाह क्षेत्रों, चरवाहे मार्गों आदि पर उपयोग के अधिकार।
- वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए वन प्रबंधन अधिकार।
- अवैध बेदखली या जबरन विस्थापन के मामले में पुनर्वास और बुनियादी सुविधाओं के लिए राहत और विकास अधिकार, जो वन संरक्षण के लिए प्रतिबंधों के अधीन है।

4.2. लाभार्थियां

- अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त करने की पात्रता उन लोगों तक ही सीमित है जो मुख्य रूप से जंगलों में रहते हैं और जो आजीविका के लिए जंगलों और वन भूमि पर निर्भर हैं।
- इसके अलावा, या तो दावेदार को उस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए या 13 दिसंबर 2005 को 75 साल या तीन पीढ़ियों से जंगल में रहना चाहिए।
- अधिनियम की धारा 6 यह निर्णय लेने के लिए एक पारदर्शी तीन चरणीय प्रक्रिया प्रदान करती है कि किसे अधिकार मिले।
- ग्राम सभा (पूर्ण ग्राम सभा, न कि केवल ग्राम पंचायत) इसकी सिफारिश करती है - अर्थात कौन कितने समय से भूमि पर खेती कर रहा है, कौन सी लघु वन उपज एकत्र की जाती है, आदि।
- ग्राम सभा की सिफ़ारिश तालुका में स्क्रीनिंग समितियों के माध्यम से जाती है।
- एक बार जब तालुका स्तरीय स्क्रीनिंग समिति ग्राम सभा की सिफारिशों को मंजूरी दे देती है, तो जिला स्तरीय समिति अंतिम निर्णय लेती है।

4.3. महत्वपूर्ण विशेषताएं

- यह अधिनियम वनों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों और वन भूमि पर कब्जे को मान्यता देता है और उन्हें अधिकार देता है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है।

- अधिनियम इसका प्रावधान करता है
    - वास्तविक कब्जे वाले क्षेत्र के वन अधिकारों की मान्यता के प्रयोजनों के लिए वन भूमि पर कब्जे की सीमा और किसी भी मामले में चार हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक नहीं हो।
    - राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में भी अधिकार प्रदान करते हुए, उन्हें नियमित आधार पर क्रिटिकल वाइल्डलाइफ हैबिटेट का नाम दिया गया है। बाघों के आवासों को FRA के दायरे से बाहर रखा गया है।
    - वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों के किसी सदस्य या सदस्यों द्वारा निवास के लिए या आजीविका के लिए स्व-खेती के लिए व्यक्तिगत या सामान्य व्यवसाय के तहत वनभूमि पर कब्जा करने और रहने का अधिकार।
- अधिनियम मान्यता देता है
    - लघु वन उपज के संग्रह, उपयोग और निपटान के लिए स्वामित्व का अधिकार, जो परंपरागत रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किया गया है।
    - उन मामलों में वैकल्पिक भूमि सहित यथास्थान पुनर्वास का अधिकार, जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को 13.12.2005 से पहले पुनर्वास के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की वन भूमि से अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है।
- अधिनियम में "लघु वन उपज" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें बांस, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू पत्ते, औषधीय पौधे, जड़ी-बूटियां आदि सहित पौधे की उत्पत्ति के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद शामिल हैं।
- अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकार वंशानुगत होंगे लेकिन हस्तांतरणीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्तियों के मामले में दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से पंजीकृत होंगे।
- अधिनियम में वन्य जीवन, वनों और जैव विविधता की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्जनन की जिम्मेदारी भी शामिल है।
- अधिनियम में दोनों पति-पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से वन भूमि के स्वामित्व के पंजीकरण की परिकल्पना की गई है, जिससे जंगलों में रहने वाली महिलाओं को लाभ होगा।

5. प्रतिपूरक वनरोपण

- भारत में, वनीकरण का एक प्रमुख तरीका प्रतिपूरक वनीकरण है, जिसे वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत "गैर-वन उपयोग के लिए वन भूमि के विचलन के बदले में किया गया वनीकरण" के रूप में परिभाषित किया गया है।
- प्रतिपूरक वनरोपण में गैर वन भूमि या निम्नीकृत वन भूमि की पहचान, कार्य अनुसूची, वृक्षारोपण की लागत संरचना, धन का प्रावधान, धन के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र और निगरानी तंत्र आदि शामिल हैं।

5.1. भूमि की पहचान

- वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अनुसार, जहां तक संभव हो, प्रतिपूरक वनरोपण (Compensatory Afforestation-CA) के लिए गैर-वन भूमि की पहचान आरक्षित वन या संरक्षित वन के निकट की जानी थी।
- यदि उसी जिले में CA की गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं थी, तो CA के लिए गैर-वन भूमि की पहचान राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में कहीं और की जानी थी।
- यदि पूरे राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में गैर वन भूमि अनुपलब्ध थी, तो CA के लिए जुटाई गई धनराशि डायवर्ट की गई वन भूमि की सीमा के दोगुने क्षेत्र में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान की जानी थी।

5.2. तदर्थ CAMPA का गठन

- अक्टूबर 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रतिपूरक वनरोपण निधि के निर्माण का निर्देश दिया, जिसमें उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्रतिपूरक वनरोपण, वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV), जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना निधि आदि के लिए प्राप्त सभी धनराशि जमा की जानी थी।
- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 23 अप्रैल 2004 को प्रतिपूरक वनीकरण, NPV आदि के लिए एकत्रित धन के प्रबंधन के लिए प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) का गठन किया।

- 5 मई 2006 को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि CAMPA अभी भी चालू नहीं हुआ है और CAMPA के चालू होने तक एक तदर्थ निकाय (जिसे 'तदर्थ CAMPA' के नाम से जाना जाता है) के गठन का आदेश दिया।

5.3. तदर्थ CAMPA द्वारा प्रतिपूरक वनरोपण निधि जारी करना

- जुलाई 2009 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि तदर्थ CAMPA को पर्याप्त धनराशि (9,932 करोड़) प्राप्त हो चुकी है।
- न्यायालय ने तदर्थ CAMPA को उस वक्त, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित मूल राशि के 10 प्रतिशत के अनुपात में, अगले पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी।

5.4. प्रतिपूरक वनरोपण निधि (CAF) अधिनियम 2016

- प्रतिपूरक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 को 3 अगस्त 2016 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई।
- यह भारत के सार्वजनिक खाते के तहत स्थापित एक विशेष कोष है। यह उन उपयोगकर्ता एजेंसियों से मुआवजा राशि एकत्र करता है जो खनन और उद्योगों जैसी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वन भूमि का उपयोग करती हैं।
- राष्ट्रीय कोष केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस कोष की स्थापना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद की गई थी।
- अधिनियम भारत के सार्वजनिक खाते के तहत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक खाते के तहत एक राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि की स्थापना करता है।
- इन निधियों को निम्नलिखित के लिए भुगतान प्राप्त होगा: (i) प्रतिपूरक वनीकरण, (ii) वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य, और (iii) अन्य परियोजना विशिष्ट भुगतान।
- राष्ट्रीय निधि को इन निधियों का 10% प्राप्त होगा, और राज्य निधियों को शेष 90% प्राप्त होगा।
- ये धनराशि मुख्य रूप से वन आवरण के नुकसान की भरपाई, वन पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन, वन्यजीव संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च की जाएगी।
- ये अधिनियम राष्ट्रीय और राज्य निधियों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय और राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरणों की भी स्थापना करता है।

5.5. प्रतिपूरक वनरोपण निधि नियम 2018

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 10 अगस्त, 2018 को प्रतिपूरक वनरोपण निधि नियमों की अंतिम अधिसूचना जारी की।

5.5.1. प्रमुख विशेषताऐं

- नियमों के अनुसार, संचित निधि का 80 प्रतिशत एक राज्य द्वारा एक वित्तीय वर्ष में वन और वन्यजीव प्रबंधन के लिए 12 गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिसमें सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनर्जनन, कृत्रिम पुनर्जनन (वृक्षारोपण द्वारा), वृक्षारोपण और वनों की सुरक्षा, जंगल में कीट और रोग नियंत्रण और जंगल की आग की रोकथाम और नियंत्रण संचालन शामिल है।
- इनमें जंगल में मिट्टी और नमी संरक्षण, वन्यजीव आवास में सुधार, संरक्षित क्षेत्रों से गांवों का स्थानांतरण, गैर-वन भूमि पर वन क्षेत्र का रोपण और कायाकल्प, और पशु बचाव केंद्रों का संचालन और रखरखाव भी शामिल है।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) का शेष 20 प्रतिशत का उपयोग वन और वन्यजीव संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, राज्य वन विभागों और अन्य संबंधित एजेंसियों और संगठनों के कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा।

5.5.2. कुछ गतिविधियों पर रोक

नियमों ने कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी है जिनमें धन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमे शामिल है:

- विदेश दौरे पर जाने वाले राज्य वन विभाग के नियमित कर्मचारियों को वेतन और यात्रा भत्ते का भुगतान।
- राज्य प्राधिकरण के प्रबंधन से संबंधित न्यायाधिकरणों या अदालतों में दायर मामलों की रक्षा के लिए कानूनी सेवाओं के लिए भुगतान।
- राज्य वन विभागों के लिए भारी वाहन और मशीनें।
- वन रेंज अधिकारियों से ऊपर के अधिकारियों के लिए आवासीय और आधिकारिक भवनों का निर्माण।

- वनरोपण उद्देश्यों के लिए भूमि को पट्टे पर देना, किराये पर लेना और खरीदना, फर्नीचर और उपकरणों की स्थापना की खरीद।
- चिड़ियाघर और वन्यजीव सफारी का विस्तार और उन्नयन।

5.5.3. निधि प्रबंधन

राज्य निधि का प्रबंधन निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा:

- राज्य के वित्तीय नियम या राज्य में लागू ऐसे कोई नियम।
- राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित लेखांकन प्रक्रिया के अनुसार।
- राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार।

6. गोदावर्मन केस

6.1. परिचय

- 1995 में टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद ने अवैध लकड़ी संचालन द्वारा नीलगिरी वन भूमि को वनों की कटाई से बचाने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी।
- एक सिविल रिट याचिका जिसका शीर्षक 'टी एन गोदावर्मन थिरुमुलपाद VS. यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स' 1995 में दायर किया गया था और न्यायालय द्वारा पहला आदेश 07.04.1995 को पारित किया गया था।
- न्यायालय ने देखा कि तमिलनाडु राज्य सरकार को नोटिस जारी होने के बाद भी नीलगिरि के गुडलूर तालुक में बड़े पैमाने पर लकड़ी की अवैध कटाई और जंगलों का विनाश जारी था।

6.2. पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध

- इसकी शुरुआत 12.12.1996 को न्यायालय द्वारा यह दोहराए जाने से हुई कि सभी 'वन' क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।
- हालाँकि यह उन पेड़ों पर लागू नहीं होगा जो लगाए गए हैं और उगाए गए हैं, और जिनकी सहज वृद्धि नहीं हुई है; और ऐसे क्षेत्रों में हैं जो पहले 'जंगल' नहीं थे लेकिन किसी कारण से साफ़ कर दिए गए थे।

6.3. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का वास्तविक दायरा

- शीर्ष अदालत ने उसी आदेश में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के वास्तविक दायरे के बारे में गलत धारणा को स्पष्ट किया।
- इसमें कहा गया कि: "वन संरक्षण अधिनियम, 1980 को वनों की कटाई को रोकने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पारिस्थितिक असंतुलन हुआ और इसलिए वनों के संरक्षण और FCA के तहत जुड़े मामलों के प्रावधान, स्वामित्व या वर्गीकरण की प्रकृति की परवाह किए बिना सभी वनों पर लागू होने चाहिए।
- यह अधिनियम की व्याख्या करने का एक नया तरीका था क्योंकि वन संरक्षण अधिनियम में वनों के स्वामित्व की प्रकृति के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है।

6.4. वन की परिभाषा

- 1996 के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू FCA में प्रयुक्त 'वन' शब्द के अर्थ पर न्यायालय का अंतरिम निर्देश था।
- कोर्ट ने बताया कि 'जंगल' शब्द को उसके शब्दकोश अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए।
- यह विवरण सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वनों को शामिल करता है, चाहे उन्हें वन संरक्षण अधिनियम के प्रयोजन के लिए आरक्षित, संरक्षित या अन्यथा नामित किया गया हो।
- गोदावर्मन मामले में न्यायालय ने 'वन भूमि' शब्द की और व्याख्या की, और कहा कि FCA की धारा 2 में आने वाले वन भूमि शब्द में न केवल 'वन' शामिल होगा, जैसा कि शब्दकोश अर्थ में समझा जाता है, बल्कि स्वामित्व की परवाह किए बिना सरकारी रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज कोई भी क्षेत्र शामिल होगा।

6.5. कार्य योजनाओं को कानूनी पवित्रता प्रदान की गई

- यह कम से कम दो अलग-अलग तरीकों से महत्व रखता है।
- सबसे पहले इसने राज्य सरकारों को उन कार्य योजनाओं को बनाने और मंजूरी लेने के लिए मजबूर किया जहां वे नहीं बनाई गई थीं।
- दूसरे, पेड़ों की कटाई को एक कानूनी दस्तावेज़ के माध्यम से विनियमित किया गया और इस प्रकार वन विभाग के भीतर कटाई पर जवाबदेही बढ़ गई, जो याचिका का मूल कारण था।

6.6. गैर सरकारी वन क्षेत्र के लिए भी कार्य योजना की जरूरत

- न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि किसी भी गैर-सरकारी वन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई के लिए कार्य योजनाओं की भी आवश्यकता होगी, जिसमें वह भूमि भी शामिल है जिसे उसके आदेश दिनांक 12.12.1996 के अनुसार 'वन' माना जाना आवश्यक है।

6.7. शोषण का विनियमन

- उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 15.01.1998 के अपने आदेशों के तहत स्थानीय कानूनों और रीति-रिवाजों के महत्व सहित लकड़ी के निष्कर्षण और निपटान पर कुछ बहुत दूरगामी टिप्पणियाँ कीं।
- इसने निर्देश दिया कि निजी वृक्षारोपण को छोड़कर, जंगलों से लकड़ी का निष्कर्षण, स्वामित्व की परवाह किए बिना, केवल राज्य एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।
- स्थानीय और प्रथागत कानून के महत्व को समझते हुए, न्यायालय ने कहा कि यदि किसी राज्य में जंगल से संबंधित कोई स्थानीय कानून या रीति-रिवाज हैं, तो संबंधित राज्य सरकार वैकल्पिक प्रस्तावों के साथ आवश्यक संशोधन, यदि कोई हो, के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकती है।

6.8. वृक्षारोपण सहित गैर वन क्षेत्र से पेड़ों की कटाई के लिए दिशानिर्देश या नियम बनाए जाएंगे

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण सहित गैर वन क्षेत्रों से पेड़ों की कटाई के लिए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश या नियम तैयार किए जाएंगे जो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संशोधन, यदि कोई हो, के साथ मापे जाने के बाद प्रभावी होगा।
- दिशानिर्देशों या नियमों में ऐसे नियमों के उल्लंघन में की गई किसी भी कटाई के संबंध में दंड और निपटान के तरीके का प्रावधान भी शामिल होगा।

7. मैंग्रोव

- मैंग्रोव ऐसे पौधे हैं जो उच्च लवणता, ज्वारीय शासन, तेज हवा के वेग, उच्च तापमान और मैला अवायवीय मिट्टी - जो अन्य पौधों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों का एक संयोजन है- से बचे रहते हैं।

- मैंग्रोव स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के बीच एक सहजीवी लिंक या पुल का निर्माण करते हैं।
- वे मुख्य रूप से दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लगभग 32° उत्तर और 38° दक्षिण अक्षांश के बीच।
- वैश्विक स्तर पर कुल मैंग्रोव आवरण 1,50,000 वर्ग किलोमीटर होने का अनुमान लगाया गया है।
- अंतरज्वारीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वितरण और बहुतायत को तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के आवास स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष संकेतक माना जा सकता है।

7.1. भारत में मैंग्रोव

- भारत के सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव वनस्पति को देखा गया है।
- देश में सबसे अधिक मैंग्रोव क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, इसके बाद गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं।
- पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किमी है। 2019 के पिछले मूल्यांकन की तुलना में 17 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है।

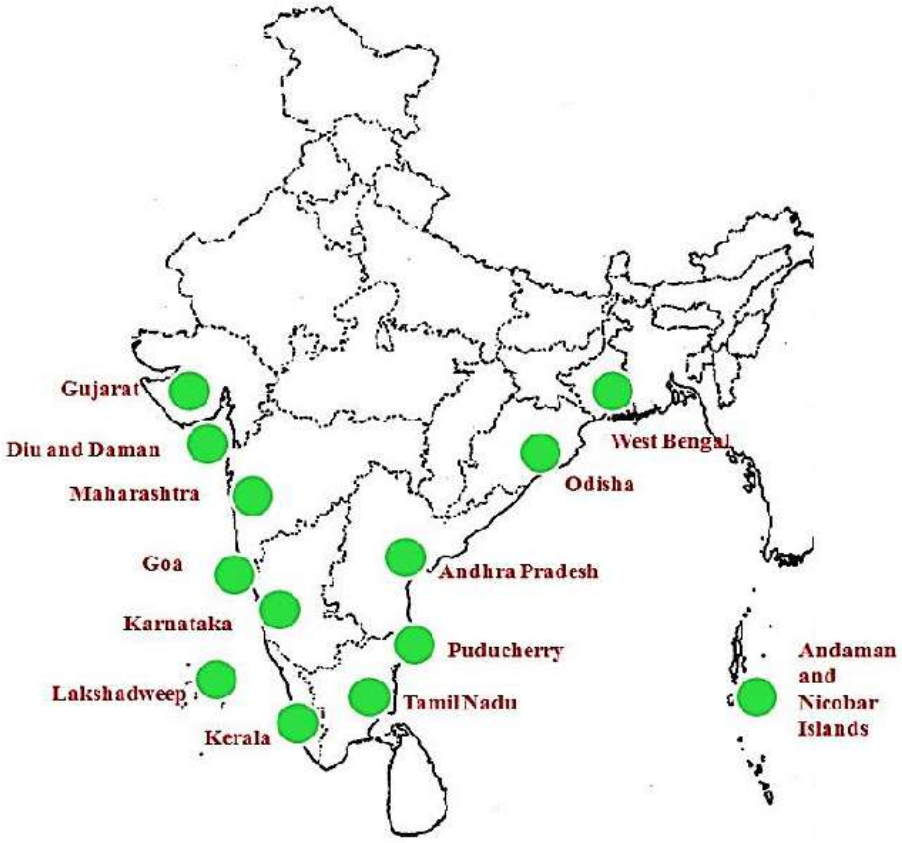

Figure.1. भारत में मैंग्रोव आवास

- सरकार नियामक और प्रचार दोनों उपायों से देश में मैंग्रोव को बनाए रखना चाहती है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2019, मैंग्रोव क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील मानती है और उन्हें CRZ-I A के रूप में वर्गीकृत करती है, जिसका अर्थ है कि इन क्षेत्रों को उच्चतम क्रम की सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- प्रचारात्मक उपायों के तहत, सरकार ने गहन संरक्षण और प्रबंधन के लिए देश भर में 38 मैंग्रोव क्षेत्रों की पहचान की है।

7.2. मैंग्रोव का महत्व

- वे कटाव को कम करके और तूफान के प्रभावों को अवशोषित करके आस-पास के आबादी वाले क्षेत्रों की रक्षा करने में मदद करने के लिए प्राकृतिक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं।
- वे भूमि अभिवृद्धि, मिट्टी के तटों के निर्धारण, हवाओं के अपव्यय, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- जटिल मैंग्रोव जड़ प्रणालियाँ पानी से नाइट्रेट, फॉस्फेट और अन्य प्रदूषकों को फ़िल्टर करती हैं, जिससे नदियों और नालों से मुहाने और समुद्र के वातावरण में बहने वाले पानी की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- मैंग्रोव वन वायुमंडल से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और अन्य ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं, और फिर उन्हें सहस्राब्दियों तक अपनी कार्बन-समृद्ध बाढ़ वाली मिट्टी में फंसाकर संग्रहीत करते हैं।
    - इस दबे हुए कार्बन को "ब्लू कार्बन" के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह मैंग्रोव वनों, समुद्री घास के मैदानों और नमक दलदल जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में पानी के नीचे संग्रहीत होता है।
- मैंग्रोव वन पक्षियों, मछलियों, अकशेरुकीय, स्तनधारियों और पौधों जैसे वन्यजीवों की एक विस्तृत श्रृंखला को आवास और आश्रय भी प्रदान करते हैं।

7.3. मैंग्रोव वनों को खतरा

- तूफान, सुनामी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर सकते हैं।
- झींगा फार्मों के उद्भव के कारण मैंग्रोव वनों की कुल हानि का कम से कम 35% नुकसान हुआ है।
- झींगा किसान तालाबों को भारी मात्रा में मीठे पानी और समुद्री जल की आपूर्ति के लिए चैनल खोदते हैं। ये जल परिवर्तन पानी के प्राकृतिक प्रवाह को बदल देते हैं जो आसपास के मैंग्रोव के साथ-साथ अंतर्देशीय और अपतटीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखता है।
- इसके अलावा चावल के खेतों, रबर के पेड़ों, ताड़ के तेल के बागानों और कृषि के अन्य रूपों को बढ़ावा देने के लिए भी कई मैंग्रोव वनों को नष्ट कर दिया गया है।
- किसान अक्सर उर्वरकों और रसायनों का उपयोग करते हैं, और इन प्रदूषकों से युक्त अपवाह पानी की आपूर्ति में अपना रास्ता बना लेता है। अपने लचीलेपन के बावजूद, मैंग्रोव बिना नष्ट हुए केवल सीमित मात्रा में औद्योगिक और कृषि प्रदूषण को सहन कर सकते हैं।
- इसकी लकड़ी के घनत्व के कारण, मैंग्रोव प्रीमियम गुणवत्ता का कोयला बनाते हैं। जंगली मैंग्रोव चारकोल के बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के कारण कुछ क्षेत्रों में इसकी गिरावट आई है।

- मैंग्रोव तटीय विकास और मैंग्रोव वनों में शहरीकरण से अनिवार्य रूप से वनों के निष्कासन के माध्यम से निवास स्थान का सीधा नुकसान होता है।
- वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि समुद्र का स्तर बढ़ना, मौसम के पैटर्न में बदलाव और महासागरों का अम्लीय होना भी मैंग्रोव वनों को उच्च जोखिम में डाल रहा है।